# कार्यालय मुख्य आयुक्त
# उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
1–चालंग हिल्स, पो०आ०–कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

टोल फ्रीः 1800 270 9818, वेबसाइटः urtsc.uk.gov.in | ई–मेलः ukrtsc@gmail.com


पत्रांक 1682 / 24–03(142) / 2024 दिनांकः 20.12.2024

## विज्ञप्ति सूचना

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग में उप सचिव के पद को प्रतिनियुक्ति / संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। पूर्ण विज्ञप्ति, आवेदन–पत्र का प्रारूप तथा योग्यता एवं अन्य पात्रता मानदडों के विस्तृत विवरण के लिये कृपया आयोग की वेबसाइट **www.urtsc.uk.gov.in** देखें।

**सचिव**

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

# उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
## सेवा का अधिकार भवन
### 1–चालंग हिल्स, पो॰ऑ॰–कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
**वेबसाईटः–urtsc.uk.gov.in, ई–मेलः–ukrtsc@gmail.com**

## विज्ञप्ति

**संख्याः 1682/उ॰ स॰/2024**

1. उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग में शासनादेश सं॰: 482/XLIII(1)/15–20(05)14, दि॰ 30.03.2015 द्वारा सृजित उप सचिव के पद हेतु राज्य सरकार के सचिवालय/विभागों/संस्थानों/निगमों/आयोगों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/बाह्य सहायतित परियोजनाओं/समितियों/परियोजना प्रबंधन इकाईयों आदि के विभिन्न कार्यालयों/प्रतिष्ठानों के नियमित अथवा सेवानिवृत्त, निम्न विवरणानुसार न्यूनतम अर्हता रखने वाले, इच्छुक कार्मिकों से आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैंः–

| क्र॰ सं॰ | पदनाम | पदों की संख्या | नियुक्ति की प्रकृति | वेतनमान एवं ग्रेड वेतन | न्यूनतम अर्हता/अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | उप सचिव | (01) पदों की संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है | प्रतिनियुक्ति | 7वें वेतन आयोग की वेतन लेवल–12 | **न्यूनतम अर्हता (प्रतिनियुक्ति हेतु):**<br>1. जन–सामान्य को राज्य सरकार द्वारा प्राप्त करायी जा रही विभिन्न सेवाओं से संबंधित विभागों के अनुभवी कार्मिक, जिन्हें कम–से–कम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो।<br>2. वर्तमान में **वेतन लेवल–12** में नियमित रूप से कार्य कर रहे हों अथवा वर्तमान में सुसंगत संवर्ग के **वेतन लेवल–11** के पद पर नियमित रूप से नियुक्त/पदोन्नत होकर कम–से–कम 02 वर्ष से कार्य कर रहे हों।<br>**न्यूनतम अर्हता (संविदा हेतु):**<br>1. जन–सामान्य को राज्य सरकार द्वारा प्राप्त करायी जा रही विभिन्न सेवाओं से संबंधित संवर्गों/विभागों तथा सचिवालय के अनुभवी कार्मिक जो कम–से–कम लेवल–12 से सेवानिवृत्त हुए हों।<br>2. ऐसे अधिकारी जो विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 02 माह के भीतर कम–से–कम लेवल–12 से सेवानिवृत्त होने वाले हों, भी उचित माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।<br>**अधिमानी अर्हताः**<br>1. सुशासन, सुराज अथवा नागरिक अधिकार आधारित अधिनियमों की संस्थाओं में कार्य का अनुभव।<br>2. सेवा प्रदाता विभाग में सेवा प्रदाता तंत्र के अनुश्रवण का अनुभव। |
| | | | संविदा (सेवानिवृत्त कार्मिकों हेतु) | सेवानिवृत्त कार्मिक हेतु सुसंगत नियमों के अनुसार निर्धारित नियत वेतन | |

2. उपरोक्तानुसार नियमित कार्मिक, जो प्रभावी नियमों के अधीन प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने के इच्छुक हो, कृपया अपना सुस्पष्ट आवेदन–पत्र विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र सहित उचित माध्यम द्वारा अग्रसारित करायें। अग्रिम आवेदन–पत्र प्रेषित किया जा सकता है, परन्तु साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र अनिवार्य होगा।

3. उपरोक्तानुसार सेवानिवृत्त कार्मिक कृपया प्रमाण–पत्रों की स्वयं प्रमाणित प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत करें।

4. सेवानिवृत्त कार्मिक (1) पेंशन भुगतान आदेश, (2) कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही गतिमान न होने का प्रमाण–पत्र, (3) अपने विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद/कार्यवाही गतिमान न होने का प्रमाण–पत्र (4) सेवानिवृत्ति के उपरांत कोई राजकीय देयता शेष न होने का प्रमाण–पत्र और (5) चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण–पत्र भी आवेदन के साथ प्रस्तुत करें। समस्त प्रमाण पत्र स्व–प्रमाणित किये जायें।

5. सेवानिवृत्त कार्मिकों की आयु दि॰ 01.01.2025 को **62 वर्ष** से अधिक न हो।

6. उक्त पद **दि॰ 28.02.2025 तक** के लिए सृजित हैं, जिनके निरंतर बने रहने की संभावना है।

7. आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक दशा में सचिव, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग को उक्त पते पर केवल पंजीकृत डाक अथवा स्पीड–पोस्ट के माध्यम से **दि॰ 15.01.2025 तक** प्राप्त हो जायें **(प्रारूप को आयोग की वेबसाईट www.urtsc.uk.gov.in से डाउनलोड करें।)**। लिफाफे के ऊपर **जिस पद हेतु आवेदन किया जा रहा है, उस पद के नाम का अंकन किया जाय।** निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

8. साक्षात्कार में शामिल होने हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

9. उक्त पद/नियुक्ति को बिना सूचना के रद्द करने तथा नियुक्ति पर अंतिम निर्णय का अधिकार मुख्य आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग को रहेगा, जो अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

**सचिव,**
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग।

# उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

## उप सचिव हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप

पासपोर्ट साईज फोटो

1. विज्ञप्ति संख्या ....................................................
2. आवेदित पद का नाम ....................................................
3. आवेदक का नाम ....................................................
4. आवेदक के पिता/पति का नाम ....................................................
5. जन्म तिथि ....................................................
6. लिंग (पुरूष/महिला) ....................................................
7. राष्ट्रीयता ....................................................
8. स्थायी पता ....................................................
   ....................................................
   ....................................................
9. पत्राचार का पूरा पता ....................................................
   ....................................................
   ....................................................
10. दूरभाष/मोबाईल नम्बर ....................................................
11. ई–मेल ....................................................
12. शैक्षिक अर्हता :–
   (कृपया आवश्यक अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।)
13. अनुभव (पूर्व/वर्तमान रोजगार) का विवरणः–

| क्र०सं० | विभाग का नाम | सेवा की अवधि | | धारित पद का नाम | वेतनमान एवं ग्रेड वेतन/ वेतन लेवल | कार्य की प्रकृति एवं जन–सामान्य को प्रदत्त विशिष्ट सेवा का स्पष्ट विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | दिनाँक से | दिनाँक तक | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(कृपया आवश्यक अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।)

**14. अन्य/तकनीकी अर्हताएं**

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................

## घोषणा

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने अधिसूचना में वर्णित पात्रता की समस्त शर्तें एवं इस आवदेन–पत्र में ऊपर उल्लिखित सूचनाएं सावधानीपूर्वक पढ़ी/भरी हैं। वे मुझे मान्य हैं और मैं यह शर्तें पूरी करता/करती हूँ। इस आवेदन–पत्र में दिए गए सारे विवरण/सूचनाएं सत्य एवं सही हैं और मैंने इन विवरणों/सूचनाओं में कोई तथ्य छिपाया नहीं है। किसी विवरण/सूचना के असत्य या गलत पाए जाने अथवा कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया जाये तो मेरा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा। यदि नियुक्त किये जाने के उपरांत ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो भी मेरी सेवाएं स्वतः समाप्त होगी। मैं राज्य सरकार का नियमित कर्मचारी हूँ/नहीं हूँ और मैने अपना मूल आवेदन–पत्र सक्षम प्राधिकारी को दिनाँक ..................... को विधिवत अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करते हुए अग्रसारित करने हेतु प्रस्तुत कर दिया है।

मेरे विरूद्ध किसी भी थाने अथवा न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और मैं किसी भी मामले में न्यायालय द्वारा दोषी करार नहीं किया गया हूँ।

**(नोटः– रेखांकित में से जो लागू न हो, उसे काट दें।)**

**तिथिः–**

**स्थानः–** **आवेदक के हस्ताक्षर**